

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश

(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ//दिनांक- 01/04/2024

समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1/ग्रेड-2, राज्य कर उत्तर प्रदेश/अपर निदेशक, राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर लखनऊ।

समस्त संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश।

समस्त राज्य कर अधिकारी, राज्य कर उत्तर प्रदेश।

समस्त संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक/ सांख्यिकीय अधिकारी/

अपर सांख्यिकीय अधिकारी, राज्य कर उत्तर प्रदेश।

कृपया शासन के कार्मिक अनुभाग-1 पत्र संख्या-9/1/1973-कार्मिक-1, दिनांक 24.10.1978 तथा पत्र संख्या-13/18/1985-कार्मिक-1, दिनांक 15.07.1985 के क्रम में मुख्यालय के पत्र संख्या-11 दिनांक 02.04.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत कार्यरत समस्त अधिकारियों के चल/अचल सम्पत्ति की घोषणा प्रत्येक 05 वर्ष के अन्तराल के स्थान पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रस्तुत करने के निर्देश निर्गत किए गये थे।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में उपरोक्त सन्दर्भित समस्त अधिकारियों (पूर्व मनोरंजन कर विभाग से राज्य कर विभाग में आये हुए समस्त अधिकारियों सहित) को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 से सम्बन्धित अपना चल/अचल सम्पत्ति का विवरण अपने लाग-इन आई0डी0 से विभागीय ई0आई0एम0एस0 माइयूल में प्रापर्टी डिटेल्स एंट्री में जाकर सम्बन्धित वित्तीय वर्ष का चयन सावधानी पूर्वक करते हुए अपने सम्पत्ति विवरण को अनिवार्य रूप से दिनांक 30.04.2024 तक फीड करना सुनिश्चित करेंगे।

(मिनिस्त्री एस0)

आयुक्त राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

✓1-संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने एवं विवरण फीडिंग किये जाने सम्बन्धी पोर्टल खोले जाने हेतु।

2-कम्प्यूटर आपरेटर स्थापना राजपत्रित अनुभाग।

(श्याम प्रसाद)

संयुक्त आयुक्त (स्था0राज0)

राज्य कर मुख्यालय।

32
1/4
07/04/24
D.C. (IT)
01/04/24
32